चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 17.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 16.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में रमजान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

(3). आज दिनाँक 17.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(4). आज दिनाँक 17.03.025 को जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जीएन की अध्यक्षता व पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में कानून व्यवस्था अभियोजन एवं महिला अपराधों की विशेष समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एससी/ एसटी एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, महिलाओं नाबालिक के विरुद्ध अपराध, अधिनस्थ न्यायालय में निस्तारित मामले, सत्र न्यायालय, तामिला, गवाहों की उपस्थिति, आर्म एक्ट, खनिज, अवैध शराब भट्टी, अवध टैक्सी स्टैंड बस स्टैंड, धारा 107/ 116, खाद्य सुरक्षा आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

सत्र न्यायालय के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि एनडीपीएस से संबंधित गृह मंत्रालय से इसकी मॉनिटरिंग किया जाता है इसमें सूचना संबंधित पटल पर लिखित रजिस्टर में होनी चाहिए एवं सभी थाना प्रभारी को निर्देशित कीए कि न्यायालय से मिलान कर सर्टिफिकेट प्राप्त करें। गवाहों की उपस्थिति के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि कुंभ मेले से उपस्थित ठीक नहीं रही है लेकिन अगले मंथ उपस्थित सत प्रतिशत कराए। आर्म एक्ट में कहा कि इसमें डेट लगातार लगाकर निस्तारण कराएं। उन्होंने खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि अवैध परिवहन नहीं चलने पाए एवं ओभर लोडिंग भी ना होने पाए अभियान चलाकर पकडे। अवैध शराब व भट्ठियों के संबंध में उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि किसी प्रकार की अवैध शराब जनपद में न बिकने पाए पुलिस के साथ संयुक्त रुप से अभियान चलाकर छापा मारी करें ।अवध टैक्सी स्टैंड व बस स्टैंड के संबंध ने कहा कि संचालको के विरुद्ध कारवाही करें एवं जुर्माना भी लगाएं, उन्होंने कहा कि होली समाप्त हो गया है तो बैठना नहीं है आप लोग लगातार छापा मारी करें । उन्होंने एआरटीओ यातायात व यातायात इंस्पेक्टर कहा कि इस मंथ घायल व मृतकों की संख्या अधिक हुई है ऐसा नहीं होना चाहिए, कहां की ट्रैफिक में मर जाते हमारी संवेदना उनके प्रति होनी चाहिए उन्होंने एआरटीओ यातायात को निर्देशित किया कि बिना हेलमेट के जो वाहन पकड़े जाते हैं उनकी ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराए, कहा कि ब्लैक स्पॉट पर बैरियर व शाइनिंग बोर्ड लगवाएं जिससे कि मृतकों की संख्या घटे यह सुनिश्चित कराएं। धारा 107/ 116 के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि संबंधित उप जिलाधिकारी समय से इसका निस्तारण कराएं।

बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी राजपुर सुश्री हर्षिता देवडा मानिकपुर मोहम्मद जसीम, पुलिस क्षेत्राधिकारी राजापुर,मउ, जिला आबकारी अधिकारी श्री अखिलेश प्रताप सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, जिला प्रवेश अधिकारी श्री पंकज मिश्रा, अधिशासी अभियंता विद्युत श्री दीपक सिंह, संयुक्त निर्देशक अभियोजन सहित थाना प्रभारी व अधिशासी अधिवक्ता उपस्थित थे।

(5). आज दिनांक 16.03.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत थाना मऊ के सर्राफा बाजार,गायत्री नगर,टिकरा टोला,नीबी रोड़ तिराहा,बम्बूरी रोड़,शिवपुर मोड़,अम्बेड़कर नगर एवं मिश्रित घनी आबादी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के आस पास भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से निगरानी की गयी।

(6). आज दिनाँक 17/3/25 को सायंकाल.19.00 बजे थाना पहाड़ी के कलवारा बुजुर्ग में गोली चलने की घटना की जानकारी मिलते ही,पुलिस अधीक्षक स्वयं पहुंचे घटनास्थल। घटना स्थल पहुंचने पर जानकारी प्राप्त हुई कि कलवारा बुजुर्ग का ही एक नवजवान पिन्टू मिश्रा उर्फ शेष नारायण मिश्रा पुत्र स्व0 गिरीश कुमार मिश्रा निवासी कलवारा बुजुर्ग थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट शराब के नशे में शिवचरन बाजपेई के भाई के परचून के दुकान पर सिगरेट लेने गया। बगल में खड़े शिवचरन के बेटे विपिन से कहा कि सिगरेट पिलाओ, उसके मना करने पर बोला कि नही पिलाओगे तो गोली

मार दुंगा। जिस पर शिवचरन बाजपेई द्वारा प्रतिवाद करते हुए कहा गया कि क्यो गोली मार दोगे, तो शराब के नशे में धुत पिन्टू मिश्रा ने कहा मैं तुम्हे भी गोली मार सकता हूँ। जब उन्होने ने कहा कि क्यो गोली मार दोगे, तो उसने तत्काल शिवचरन बाजपेई पर फायर कर दिया और वहाँ से भाग निकला। आगे बढ़ने पर उसी गांव के ही एक और व्यक्ति बालजी तिवारी उर्फ लक्ष्मीनारायण तिवारी पुत्र शंकरदयाल तिवारी को गोली मार दी। दोनों घायलों को तत्काल सीएचसी पहाड़ी लाया गया। जहाँ से जिला अस्पताल सोनेपुर कर्वी चित्रकूट रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल चित्रकूट पहुंचने पर डाक्टरों द्वारा शिवचरन उपरोक्त को मृत्यु घोषित कर दिया गया और बालजी तिवारी उर्फ लक्ष्मी नारायण तिवारी पुत्र शंकरदयाल निवासी उपरोक्त को बेहतर उपचार के लिए स्वरूप रानी हास्पिटल प्रयागराज रेफर कर दिया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक के साथ अपर पुलिस अधीक्षक,क्षेत्राधिकारी राजापुर,प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी,थाना प्रभारी सरधुवा,राजापुर एवं रैपुरा सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। गांव में प्रयाप्त संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक है। अभियुक्त पिन्टू मिश्रा के गिरफ्तारी के लिए एसओजी/सर्विलांस सहित कुल 04 टीमें लगा दी गयी है।